


# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री अखिलेश कुमार, प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बछामदी सेवर जिला भरतपुर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-8 के नीचे राजस्थान सरकार के निर्णय 5 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर नाम संशोधन/उपनाम कॉलम संख्या 07 में अंकितानुसार परिवर्तन की स्वीकृति माननीय न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (किराया अधिकरण), भरतपुर (राज.) के नंबरी दीवानी प्र.सं. 40/2022 (4/2021) निर्णय दिनांक : 28.06.2022 के डिकरी आदेश, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सेवर जिला भरतपुर की अभिशंषा एवं कार्यालय के लेखाधिकारी की टिप्पणी के आधार पर विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	संशोधित नाम
01	02	03	04	05	06	07
01	अखिलेश कुमार	17.11.1962	प्रधानाध्यापक	राबाउमावि बछामदी, सेवर	भरतपुर	अखिलेश कुमार खण्डेलवाल

भविष्य में अखिलेश कुमार, प्रधानाध्यापक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बछामदी, सेवर जिला भरतपुर से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम अखिलेश कुमार खण्डेलवाल संबोधित/जारी किया जावे।

  
(गौरव अग्रवाल)  
आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था-एबी/ए-2/उपनाम परिवर्तन/2022-23/33 दिनांक : 1-9-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा- भरतपुर संभाग।
02. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड बाबत।
03. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
04. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक सेवर जिला भरतपुर।
05. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग।
06. संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान।
07. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर